विवरण

सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रम जिनकी उत्पादन इकाइयां देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं किन्तु उनके मुख्यालय दिल्ली में हैं

क्र० सं०	सरकारी उपक्रम का नाम
1.	भारत एल्युमिनियम कम्पनी लि०
2.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
3.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०
4.	भारतीय उर्वरक निगम लि०
5.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि०
6.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०
7.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०
8.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपो० लि०
9.	इंडियन आयल कारपोरेशन लि०
10.	इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लि०
11.	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया लि०
12.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०
13.	नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपो० लि०
14.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०
15.	नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन लि०
16.	नेशनल थर्मल पावर कारपो० लि०
17.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०
18.	आयल इंडिया लि०
19.	ओएनजीसी (विदेश) लि०
20.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि०
21.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०

लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया जाना

847. **श्री राम जेठमलानी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु उद्योग क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश का अंशदान 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु उद्योग क्षेत्र में देश की बड़ी-बड़ी कम्पनियों का अंशदान भी 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिये जाने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि लघु उद्योग क्षेत्र सहित सहकारी समितियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों की भागीदारी का अंश बढ़ने के कारण लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा किये जाने वाले उत्पादन में अपनायी जा रही विद्यमान श्रम-प्रधान तकनीक के स्थान पर पूंजी प्रधान तकनीक को अधिक बल मिलेगा; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

Underpriced Wheat Export

848. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether India have lost about Rs. 3.00 crore in foreign exchange owing to underpriced wheat export during the last one year;

(b) if so, whether country has exported around 1 million tonne of non-durum wheat against an approved 2.5 MT by the Government last year;

(c) whether exports were made at prices nearly US$ 60 to US$ 100 per MT less than international prices;

(d) if so, main reasons and whether any enquiry was conducted;

(e) if so, the action taken against those held responsible; and

(f) steps being taken to see that loss is not increased during 1996-97?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) to (c) During 1995-96, 617211 MTs of wheat valued at Rs. 360.90 crores at a unit price realisation of Rs. 5847.27 per MT (US$ 175.27 per MT, conversion rate 1 $= Rs. 33.36) was exported. It is, however, not possible to accurately compare the prices prevailing in the international and domestic markets on account of different varieties traded,

variations in quality, and additional expenditure incurred in grading and packaging for exports.

(d) to (f) Do not arise.

भटगांव और विश्रामपुर कोयला-खानों में कोयले की चोरी

849. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण-पूर्व कोयला क्षेत्र के अन्तर्गत भटगांव और विश्रामपुर कोयला खानों में वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक कोयला चोरी होने, कोयले की मात्रा में हेरा-फेरी करने तथा अन्य भ्रष्ट गतिविधियों के कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) इस संबंध में किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) इन दोनों कोयला-खानों में किन-किन कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन, कोयला चोरी और हेरा-फेरी आदि के मामले लम्बित हैं और वे मामले कब से लम्बित हैं; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त आरोपों के संबंध में दोषी पाये गये अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (घ) 1992-93 से 1995-96 की अवधि के दौरान साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स लि० (सा०ई०को०लि०) की भट्गांव तथा विश्रामपुर कोलियरियों में हुई चोरी के तथा अन्य भ्रष्टाचार के मामले की सूचना नीचे दर्शायी गई है:—

वर्ष	मामलों की संख्या		अंतर्ग्रस्त	अंतर्ग्रस्त	की गई कार्रवाई
	चोरी	गैर-चोरी	अधिकारियों की सं०	कर्मचारियों की सं०	
1992-93	—	—	—	—	—
1993-94	—	1	3	—	विभागीय जांच का कार्य प्रगति पर है।
1994-95	—	1	—	2	** दोनों कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
1995-96	1*	1	—	2	विभागीय जांच का कार्य प्रगति पर है।

* 1995-96 के चोरी के मामले में कंपनी का कोई अधिकारी/कर्मचारी अंतर्ग्रस्त नहीं था। यह मामला स्थानीय पुलिस के पास दर्ज कराया गया था, जोकि एक परिवहन कंपनी के दो कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज कराया गया था।

** इनके नाम थीना राम और करीम खान हैं।

Streamlining of Registration Procedure

850. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the steps proposed to streamline the registration procedure of new units;

(b) whether it is a fact that entrepreneur from Andhra Pradesh are facing the burden of having to travel to Delhi for such work; and

(c) the steps proposed to monitor the activities of the Department?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) With the announcement of New Industrial Policy in July, 1991, for setting up industrial units in delicensed sector,